रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31012026-269689
CG-TL-E-31012026-269689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]	नई दिल्ली, बुधवार, 28 जनवरी, 2026/माघ 8, 1947
No. 380]	NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 408(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), केन्द्रीय सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि अनुसूची में संलग्न भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, एक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्थात् आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल के अंतर्गत चीन पलकलूरु ग्राम के निकट कि.मी. 9/13–14 पर समपार सं.06 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण का अपना आशय घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर जिला, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर जिला, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरणउपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल के अंतर्गत चीन पलकलूरु ग्राम के निकट कि.मी. 9/13–14 पर समपार फाटक सं.06 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

क्रम. सं.	मंडल कानाम	गाँवकानाम	सर्वे . संख्या	अंदाज़न क्षेत्रफल (Sq.Mtrs)	अंदाज़न क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (गीली/ सूखी)
1	गुंटूर पश्चिम मंडल	चीन पलकलूरु	98	328.797	0.0329	पट्टा भूमि	सूखी
2			99	483.604	0.0484	पट्टा भूमि	सूखी
3			100	2587.628	0.2588	पट्टा भूमि	सूखी
4			106	15.822	0.0016	पट्टा भूमि	सूखी
5			107	885.795	0.0886	पट्टा भूमि	सूखी
6			108	3132.545	0.3133	सरकारी पोरम्बोकू	सड़क
7			110	583.9072	0.0584	पट्टा भूमि	सूखी
8			117	7.669	0.0008	पट्टा भूमि	सूखी
9			120	4667.706	0.4668	सरकारी पोरम्बोकू	सड़क
Total				**12693.4732**	**1.2693**		

[फा. सं. GS/Gazette/20A/LC.No.06/GNT-NDKD/GNT]

के. साइमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक / गति शक्ति

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Guntur, the 22nd January, 2026

S.O. 408(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing No.06at Km.9/13-14 near china Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority,namely Revenue Divisional Officer,Guntur District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Guntur Districtshall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested personsat the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 06at Km. 9/13-14near china Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh

Sl. No.	Name of Mandal	Name of Village	Survey Number	Tentative Area (Sq. Mtrs)	Tentative Area in (Hectares)	Type of land (Govt/Private)	Nature Of Land (Wet/Dry)
1	Guntur West Mandal	Chinapalakaluru	98	328.797	0.0329	Patta Land	Dry
2			99	483.604	0.0484	Patta Land	Dry
3			100	2587.628	0.2588	Patta Land	Dry
4			106	15.822	0.0016	Patta Land	Dry
5			107	885.795	0.0886	Patta Land	Dry
6			108	3132.545	0.3133	Govt Poramboku	Road
7			110	583.9072	0.0584	Patta Land	Dry
8			117	7.669	0.0008	Patta Land	Dry
9			120	4667.706	0.4668	Govt Poramboku	Road
Total				**12693.4732**	**1.2693**		

[F. No. GS/Gazette/20A/LC.No.06/GNT-NDKD/GNT]

K. SIMON, Chief Project Manager/Gati Shakti

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.31 11:38:20 +05'30'